न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–इन्द्र सिंह राव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 06/2018

बउनवान

1–किशनगोपाल पुत्र शिवनारायण जाति–धाकड निवासी–रानीहेडा
2–शंभूदयाल पुत्र शिवनारायण जाति–धाड निवासी रानीहेडा
तहसील बारां, जिला–बारां (राज.) **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री शैलेष मेहता, अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 25.03.2019

1– अपीलांट्स ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 21.04.2014 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स को ग्राम–बडां, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 2187/0.76 में से रकबा 0.20 हैक्टर किस्म–गै.मु.ना.का.का. पर अतिक्रमी मानकर बेदखली, 100/–रूपये अर्थदण्ड एंव 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

2– अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत एवं तथ्यों से असंगत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नहीं देकर एकतरफा निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट्स उक्त आराजी पर अतिक्रमी नहीं है, फैसले में वर्णित आराजी पर कार्यवाहीं तिथि को उसका कब्जा नहीं था और ना आज है। हल्का पटवारी ने गॉव में बैठकर झूठी रिपोर्ट की है, इसी आधार पर सजायाब किया गया है। अपीलांट्स उक्त आराजी पर पश्चात्वर्ती नहीं है। पत्रवाली में बेदखलीनामा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 21.4.2014 निरस्त फरमाया जावे।

3– [illegible] पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब [illegible] अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने [illegible] अभिभाषक अपीलांट्स व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

4– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपील में अंकित तथ्यों को [illegible] निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने तीन भाईयों को ग्राम बडां की [illegible] 2187 रकबा 0.20 है0 पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानकर सजायाब किया गया है जिसमें रामस्वरूप की मृत्यु हो चुकी है। इसलिये दो भाईयों द्वारा अपील प्रस्तुत की [illegible] अपीलांट्स का विवादित आराजी पर कोई कब्जा काश्त नहीं है वर्तमान में भूमि

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

खाली पडी हुई है। कब्जा पूर्व से छोड रखा है तथा अपीलांट्स भविष्य में उक्त आराजी पर कभी भी अतिचार नहीं करेगे। साथ हीं कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स को नोटिस की प्रोपर तामील नहीं करवायी है। बिना सुनवाई एवं जवाबदेहीं का अवसर दिये, मात्र हल्का की झूठी रिपोर्ट पर विश्वास करके पश्चात्वर्ती अतिकमी मानकर सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में हल्का पटवारी के बयान, स्वतंत्र साक्ष्य एवं पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में पश्चात्वर्ती नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स के विरूद्व एकपक्षीय निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अतः अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 21.04.2014 निरस्त फरमाया जावे।

5— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट्स विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिकमी रहे है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 948/13 निर्णय दिनांक 20.12.2013 से भी बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

6— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। किन्तु बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट्स का कथन रहा है कि उनने उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है तथा भविष्य मे उक्त आराजी पर कभी अतिचार नहीं करेगे। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स के प्रति सहानुभूति व नरमी का रूख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित समझते है।

7— परिणामस्वरूप, अपीलांट्स की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा निर्णय दिनांक 21.04.2014 से पारित बेदखली एंव शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 464/14 में पारित निर्णय दिनांक 21.04.2014 से दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट्स विवादित आराजी से कब्जा छोड दें तथा तहसीलदार, बारां के समक्ष दो माह में उपस्थित होकर अण्डरटेंकिग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे तथा तहसीलदार, बारां कब्जा छोडने से सन्तुष्ट हो जावे तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा निर्णय दिनांक 21.04.2014 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां का उक्त निर्णय यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 25.03.2019 को सरे इजलास [illegible] कर सुनाया गया।

(इन्द्र [illegible] सिंह राव)
[illegible] कलेक्टर,बारां
[illegible] कलक्टर
बारां (राज०)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तथा ... द्वारा निर्धारित प्रक्रिया व कानूनी बिंदु पर अधीनस्थ न्यायालय